

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seiaacg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 25/02/2020 को संपन्न 313वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

— 00 —

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 313वीं बैठक श्री चौरिन्द शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 25/02/2020 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री. एन.ब्रह्मचु दास, खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. श्री. विकारा कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. श्री. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. श्री भोराकर पिलास राविधान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: दिनांक 04/02/2020, 05/02/2020, 06/02/2020 एवं 07/02/2020 को संपन्न क्रमशः 309वीं, 310वीं, 311वीं एवं 312वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 309वीं, 310वीं, 311वीं एवं 312वीं बैठक क्रमशः दिनांक 04/02/2020, 05/02/2020, 06/02/2020 एवं 07/02/2020 को संपन्न हुई थी। समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त बैठकों के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।



एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: मौण खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (प्रतापगढ़ संप्लेड माईन, ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा), खरसिया नाका चौक, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1059)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 131217/2019, दिनांक 13/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा स्थित पार्ट ऑफ खरसिया क्रमांक 1122 कुल लैंड क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर प्रस्तावित है। उत्खनन माण्ड नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्दुओं का सिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर सिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में अर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। सिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्डा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किये जायें।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पार की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. यदि पूर्व में अवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित कर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशाघात की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
5. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दरतावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उमेश देव चण्देय, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिह्न बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मोनसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 06/12/2019 को रेत सतह के लेवलस (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्पररी बेंच मार्क का कथन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को चिह्न मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्पररी बेंच मार्क का उर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवलस (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह एक नई स्वीकृत खदान है। अतः पूर्व में खदान को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था—

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का चिह्न बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर चिह्न मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपसंगत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु परामर्श भी प्रस्तुत किया जायें।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के फाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।



5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने बाबत अनुरोध पत्र दिनांक 04/02/2020 को प्रस्तुत किया गया।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, इल्लीसगढ़ को आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री ओकरे पाण्डेय, अधिवृत्त प्रतिनिधि एवं श्री आर.एस. राजपूत, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अयलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति फाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संशय में ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ का दिनांक 26/12/2013 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमांकित — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.) जिला-सरगुजा के आपन क्रमांक 2234/खनिज/ख.लि.3/उत्खनन यो./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के आपन क्रमांक 2241/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019, अम्बिकापुर, दिनांक 11/12/2019 के अनुसार अधोदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरक्त है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के आपन क्रमांक 2239/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 अम्बिकापुर, दिनांक 11/12/2019 के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिक्रियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सरगुजा के आपन क्रमांक 2104/खनिज/ख.लि.3/रेत/19 अम्बिकापुर, दिनांक 22/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिरूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम-प्रतापगढ़ 1 कि.मी., स्कूल 1 कि.मी. एवं अस्पताल 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.57 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 23.6 कि.मी. दूर है। पुल 580 मीटर दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र — परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य,

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबन्धित किया है।

10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 170 मीटर, न्यूनतम 115 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 85 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के उत्तरी किनारे से दूरी 12 मीटर एवं दक्षिणी किनारे से दूरी 60 मीटर है।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु संयोजना भी प्रस्तुत किया गया है।
12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का सिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मामसून (Post-Monsoon) बाद दिनांक 29/01/2020 को रेत सतह के लेवलस Levels लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के स्मृति विस्तार से सभी उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 85	2%	Rs. 1.70	Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Pratapgarh	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 1.75
			Potable Drinking Water Facility	
			Running Water Facility for Toilets	

		Plantation work	
		Total	Rs. 1.78

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरतई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। माण्ड नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में लगभग 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. आवेदित खदान (ग्राम-प्रतापगढ़) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्वार्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान सी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे - 800 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बरस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पहलू मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय परम्परा, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बैसलाईन डाटा -**
 - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसको अपेक्षित खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
 - ii. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विशिष्ट बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
पोस्ट-मोनिसिंग के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मोनिसिंग के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. फ्लोसिगमंड को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से श्री जितेन्द्र कुमार अववाल, प्रतापगढ़ रोपड़ गाईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1122, ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 38,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों की अधीन पर्यावरणीय सदैकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भूमिको द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेंड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) फ्लोसिगमंड को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री सदीप गुप्ता (सबलपुर रोपड़ गाईन, ग्राम-सबलपुर, तहसील व जिला-कोण्डागांव), टिकरापारा, जिला-उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1107)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए /सीजी /एमआईएन / 135688 / 2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सीण खनिज) है। यह खदान ग्राम-सबलपुर, तहसील व जिला-कोण्डागांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नारंगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-46.917 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारों का परीक्षण तथा अंतरिम सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में गॉटिड, मरघट, अस्पताल, स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अध्याय न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एन्टीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
- रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का सिद्ध बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर चिह्न नैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में

आरएल को-ऑर्डिनेटर (Co-ordinates) अंकित किये जायें। विद्यमान में टेम्पलेट बैच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / वस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (PII) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य सरकार पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित सर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशलरोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व में संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संदीप कुमार गुप्ता, प्रोफराईटर एवं सुधी नेहा टण्डन, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अद्यलोकेन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का जनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के समय में ग्राम पंचायत संकलपुर का दिनांक 20/01/2014 का जनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दकित/सीमाकित — कर्मालय कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना — माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), जिला-उत्तर बस्तर कार्बोर को ज्ञापन क्रमांक 838/खनिज/उत्ख.वी. अनु./रेत/2019-20 कार्बोर, दिनांक-31/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 2745/खनिज/2019-20, कोण्डागांव, दिनांक 10/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 2745/खनिज/2019-20, कोण्डागांव, दिनांक 10/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, बीज, एनोकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोण्डागांव के ज्ञापन क्रमांक 2823/खनि./रेत खदान/2019-20, कोण्डागांव, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिनियमा दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी ग्राम-बम्हनी 0.4 कि.मी., स्कूल संकलपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल कोण्डागांव 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 55 कि.मी. दूर है। अस्पष्टीम में पुल 220 मीटर दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोन्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 153 मीटर, न्यूनतम 94 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - अधिकतम 105 मीटर एवं न्यूनतम 53 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दायें किनारे से दूरी 57 मीटर है। खदान की नदी तट के बायें किनारे से दूरी शून्य है, जबकि यह घाट की चौड़ाई का कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी (जो भी अधिक हो) होना चाहिए।
11. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 2.5 से 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा - 43,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जमाने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़वा (Pit) खोदकर उरामी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जालकरी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड़वा (Pit) खोदकर उरामी रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 1.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत संबलपुर के नाम से रेत खदान खारा क्रमांक 1/1, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, लागत-75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सहायता निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोणार्जनाथ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 31/10/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के चलन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाय अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- वर्ष 2017-18 में 750 घनमीटर, 2018-19 में 2,858 घनमीटर एवं 2019-20 में 2,438 घनमीटर रेत उत्खनन किया जाता बताया गया है।
- 100 नम पीपे का रोपण किया गया है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 किन्डुओं का विड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) काटा दिनांक 16/12/2020 को रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर उन्हें सभिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरंत फोटोग्राफस सहित जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किये गये है।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समझ विस्तार से चर्चा उपरंत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 23	2%	Rs. 0.46	Following activities at Nearby Government School at Village - Sambaipur	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.45
			Plantation work	
Total			Rs. 1.00	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक सत्र में प्रस्तुत किया जाए।

15. नैर माइनिंग क्षेत्र -

1. वर्तमान में खदान की नदी के किनारे से दूरी शून्य है। माइनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 12 मीटर छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 9.192 वर्गमीटर गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जबकि नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 10 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता। अतः खनन क्षेत्र की नदी तट से दूरी नदी की चौड़ाई के अनुरूप 10 मीटर से 15 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है।
2. खदान के अपस्ट्रीम में 220 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है। नये माइनिंग प्लान अनुसार शीकृत रेत खदान के अपस्ट्रीम में पुल से कम से कम 250 मीटर छोड़ा जाना आवश्यक है। अतिरिक्त 30 मीटर लंबाई को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित कर सफाया प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में 2.078 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।
3. उपरोक्त माइनिंग प्लान के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुल से अतिरिक्त 30 मीटर लंबाई को एच नदी तट से न्यूनतम दूरी 10 मीटर अथवा नदी के घाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत रखते हुए गैर माइनिंग क्षेत्र की सफाया प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार लीज क्षेत्र में कुल गैर माइनिंग क्षेत्र 11,270 वर्गमीटर प्रस्तावित किया गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 2.92 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

16. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं मसाई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का सभावना नहीं किया गया है। नारगी नदी छोटी नदी है तथा उसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-सबलपुर) का सख्या 4047 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिसी में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. **वृक्षारोपण कार्य** - पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तानुसार नदी तट पर निर्धारित संख्या में वृक्षारोपण नहीं किया गया है। प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नम पीछे - 1,000 नम अर्जुन के पीछे तथा शेष 1,000 नम (जामुन, कंरज, बांस, आम आदि) पीछे लगाए जायेंगे। पहिले मार्ग में 1,000 नम पीछे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करावेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बायल राठी आंकड़ों रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंपत्ति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों



3. मेसर्स श्री उत्कर्ष एन्जीनी (बनियागांव सेक्टर माईन, ग्राम-बनियागांव, तहसील व जिला-कोण्डागांव), मिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नरती क्रमांक 1135)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 136797 / 2020, दिनांक 15/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण्डा खनिज) है। यह खदान ग्राम-बनियागांव, तहसील व जिला-कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 574, कुल लीज क्षेत्र 1.489 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भारगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-29780 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एन्कीकट एवं जल अपूर्ति स्केम की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का सिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस Levels लेकर सिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। तत्त लेवलस Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) उचित किये जायें। सिड मैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण पत्रांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु परमाणा भी प्रस्तुत किया जाय।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तीरनाड अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सन्तुष्टता निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) उत्तीरनाड द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित कर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संसाधित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।



7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. स्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में शेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार स्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020-

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आमिर सिद्दिकी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं मेहा टण्डन, स्वनि निरीक्षक उपस्थित हुए। उनका द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अधूरे होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वांछी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्री उत्कर्ष एन्थोनी (सोनाबाल रोण्ड माईन, ग्राम-सोनाबाल, तहसील व जिला-कोण्डागांव), गिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1138)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 136940 / 2020, दिनांक 15/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित शेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-सोनाबाल, तहसील व जिला-कोण्डागांव स्थित खसरा क्रमांक 38, कुल लीज क्षेत्र 2.18 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन नारगी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-83600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020-

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुरु, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. शेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर, वर्तमान में शेत खाह के लेवलस (Levels) लेकर गिड गैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत

किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेव मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी वेव मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विड वेव में टेम्परी वेव मार्क (TBM) को नों दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनाम भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में अधोदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एसई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति ही नहीं हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन विधिते की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के प्रापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अग्निर सिद्धिदानी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं नेता टण्डन, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समस्त प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी हुई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्री जितेन्द्र सिंह परिवार (टिकनपाल रोण्ड गाईन, ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बरतार) राजेन्द्र नगर जगदलपुर, तहसील-जगदलपुर, जिला-बरतार (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1108)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईएन / 135761 / 2020, दिनांक 08/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (सींग खनिज) है। यह खदान ग्राम-टिकनपाल, तहसील व जिला-बरतार सिधा खसरा क्रमांक 01, कुल सींग क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन सरफण्डी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा लक्ष्यगत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एन्टीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बांधत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का शिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर शिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेस मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। शिड मैप में टेम्परी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की भंडाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षरोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संजालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करत कर प्रस्तुत की जाए।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2019 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दरखास्त (अद्यतन फोटोग्राफ) सहित प्रस्तुतीकरण विद्ये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

सादानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आणन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र शिवा परिहार, प्रोपराइटर एन श्री देवेन्द्र साहू खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत उसरी का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकिंत/सीमाकिंत - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकिंत/सीमाकिंत कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माहिण्ड प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण वस्तर दलेवाड़ा के आणन क्रमांक 1611/खनिज/उ.पो./2019-20 दलेवाड़ा, दिनांक 30/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-वस्तर के आणन क्रमांक 2367-डी/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 जगदलपुर, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-वस्तर के आणन क्रमांक 2367-बी/खनिज/ख.लि.3/रेत/2019 जगदलपुर, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, डीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-वस्तर के आणन क्रमांक 2221/खनिज/ख.लि.3/सिर्स औरान (बैठ)/2019 जगदलपुर, दिनांक 11/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-टिकनपल 0.8 कि.मी. प्राथमरी स्कूल ग्राम-टिकनपल 0.8 कि.मी. एवं अस्पताल वस्तर 10



कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के हाउनस्ट्रीम में 460 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है।

9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिवेदित किया है।

10. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई - अधिकतम 60 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 30 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है।

11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनिंगल रेत की मात्रा - 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़दा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गड़दा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु योजनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**

- पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत उरारी (ग्राम-टिकनवाल) के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 03, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता-50,000 घनमीटर प्रतिकल्प हेतु राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 21/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। ग्राह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के द्वारा क्रमांक 281/खनिज/ख.लि.1/रेत/2020 जगदलपुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 7720 घनमीटर वर्ष 2017-18 में 10,300 घनमीटर एवं वर्ष 2018-19 में निरक उत्खनन किया गया है।
- निर्धारित शर्तानुसार नुसारोपण नहीं किया गया है।

13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स** - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरोक्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2016 के

अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरोक्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.30	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Tikanpal	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मर्राई का कार्य सीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि -

i. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार-

"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

ii. वर्तमान में सीज पुल से 460 मीटर की दूरी पर स्वीकृत है। नये गाइडलाइन अनुसार स्वीकृत रेत खदान के डाउनस्ट्रीम में पुल से कम से कम 500 मीटर गैर माइनिंग क्षेत्र छोड़ा जाना आवश्यक है। अतः अतिरिक्त 40 मीटर लंबाई को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी।

17. वृक्षारोपण कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नम पीपे - 500 नम अर्जुन के पीपे तथा शेष 500 नम (जामुन, करज, बर, आम आदि) पीपे लगाए जाएंगे। पट्टुच मार्ग पर 500 नम पीपे लगाए जाएंगे।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. नये गाइडलाइन अनुसार रेत उत्खनन हेतु अतिरिक्त 40 मीटर को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए गैर माइनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। गैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र का सीमांकन कर स्वनिज विभाग से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।

2. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्री हरेंद्र सिंह भदौरिया (कोरपाल कानापाल सेम्ड, गाईन, ग्राम-कोरपाल कानापाल, तहसील-बकावण्ड, जिला-बरतार), सनशिटी, बन्दशेखर आजाद वार्ड, जगदलपुर, जिला-बरतार (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1112)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 135910 / 2020, दिनांक 08 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीण खनिज) है। यह खदान ग्राम-कोरपाल कानापाल, तहसील-बकावण्ड, जिला-बरतार स्थित मार्ट अफिड खतरा क्रमांक 172 एवं 68, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्डियाकी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी कायदा जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का सिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर सिड गैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। जल लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। सिड गैप में टेम्परी बेंच मार्क (TBM) को भी दस्तावेज एवं खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की सीटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गडदा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिलेखित शर्तों के पालन में की गई क्लेयवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अखतान फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एनईएसी, जलेशगर कं प्राप्ति दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरेन्द्र सिंह मदीरिया, प्रोपराइटर एवं श्री देवेन्द्र साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मन्त्री प्रस्तुत जानकारी का आलेखन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मुख्यालय का दिनांक 20/06/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमांकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है जो खनि अधिकारी जिला-बस्तर बस्तर दोबारा के आपन क्रमांक 1817/खनिज/उत्ख.खोज/रेत/2019 बतेबाबा, दिनांक 02/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 2363-बी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/ जगदलपुर, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार अनेदित खदान से 500 मीटर के भीतर आवरिवात 1 खदान क्षेत्रफल 2.8 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 2363-बी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार वक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकन्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एन.ओ.आई. का विवरण - एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 2231/खनिज/ख.लि.3/विघटी ऑक्लन (रेत)/2019 जगदलपुर, दिनांक 11/12/2019 द्वारा जारी की गई, तिराकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।



7. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, जंगणवल बस्तर, जिला-जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./368 जगदलपुर, दिनांक 25/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से वास्तविक दूरी 3 से 4 कि.मी., वन्यजीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान 50 कि.मी. है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-कोरपाल 1.5 कि.मी. एवं प्राथमरी स्कूल-ग्राम-कोरपाल 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है। सड़क से खदान के 1 कि.मी. की दूरी पर पुल/ब्रीज/एन्क्वेट स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइण्टेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – 130 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 50 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 13 मीटर है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें वास्तविक गहराई का मापन कर, स्थानिक विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिला के अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
 - i. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत गुमडेल के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 172 एवं 66, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता-50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभागत निर्धारण प्राधिकरण जगदलपुर, जिला-बस्तर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 03/12/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
 - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में जो नई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गांव अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
 - iii. कार्यालय कलेक्टर (स्थानिक शाखा), जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 282/स्थानिक/ख.सि.1/रेत/2020 जगदलपुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार वर्ष 2016-17 में 1334 घनमीटर, वर्ष 2017-18

में 1896 घनमीटर एवं वर्ष 2018-19 में 1622 घनमीटर उत्खनन किया गया है।

iv. निर्धारित शर्तानुसार नुसारोपण नहीं किया गया है।

14. खदान क्षेत्र में रेत सहाई के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डेटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सहाई के लेवलस (Levels) लेकर उन्हें सविज्ञ विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत कोर्टोपलस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से कार्य उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 15	2%	Rs. 0.30	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Korpai	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

17. रेत उत्खनन में नुअल विधि से एवं गहराई का कार्य लोडर द्वारा कंटाया जना प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संयोजी अध्ययन कार्य एवं उत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रावती नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. अपेक्षित खदान (ग्राम-कोरपाल कानापाल) का सतह 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने की वरण यह खदान वी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** – प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नम पीपे – 800 नम अर्जुन के पीपे तथा शेष 600 नम (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पीपे लगाए जायेंगे। पहलू मार्ग पर 600 नम पीपे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड अध्ययन (Sitation Study) करायेंगा, ताकि रेत को पुनःपूरण (Replenishment) वास्तु सही आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा** –
 - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र की अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
 - ii. रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन वह कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री हरेंद्र सिंह भदौरिया, कोरपाल कानापाल रोण्ड गाईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 172 एवं 68, राम-कोरपाल कानापाल, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई धनिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। स्थल क्षेत्र में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री दीपक गुप्ता (बालपुरी सेण्ड माईन, ग्राम-बालपुरी, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर), नवापारा, ब्राम्हणपारा, गौबरा नवापारा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1137)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 136928 / 2019, दिनांक 15/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोला खनिज) है। यह खदान ग्राम-बालपुरी, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर स्थित खसरा क्रमांक 245, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्दावली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारों का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाधा जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 मिन्टूओं का गिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस Levels लेकर गिड गैज में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस Levels हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। गिड गैज में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरान्त फोटोग्राफस सहित जानकारी/उत्सवोज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (सीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनारबित प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. स्वनि: निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेल के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को साथ आयाती भात की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरागत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार स्वनि: निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीपक गुप्ता, प्रोफेसर्डर एवं श्री देवेन्द्र साहू, स्वनि: निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेल: उत्खनन-की संख्या में ग्राम पंचायत वितापुर का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, स्वनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो स्वनि: अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दंतोबाका के आपन क्रमांक 1665/स्वनिज/उत्ख.यो.अनु./रेल/2019 दंतोबाका, दिनांक 13/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (स्वनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 2361/स्वनिज/ख.लि: 03/रेल खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 31/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (स्वनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 2361-बी/स्वनिज/ख.लि.03/रेल खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 31/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, बीज, एमोकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. का विवरण - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (स्वनिज शाखा), जिला-बस्तर के आपन क्रमांक 2236/स्वनिज/ख.लि.3/खिसां अंकाशन (रेल)/2019 जगदलपुर, दिनांक 11/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से 250 मीटर में कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है। लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग में अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दिनांक 24/12/2020 द्वारा आवेदन किया गया है। वन विभाग से अनापूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सीधे ही प्रस्तुत की जाएगी।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आसदी ग्राम-बालपुरी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-बालपुरी 1 कि.मी. एवं अस्पताल जगदलपुर 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी पर पुल/ब्रीज/एनोकर-स्थित नहीं है।
10. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्विटेकली पील्सुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
11. खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 136 मीटर, न्यूनतम 120 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 75 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के दक्षिणी किनारे से दूरी 10 मीटर एवं उत्तरी किनारे से दूरी 32 मीटर है। खदान की नदी तट के दक्षिणी किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होगी बाहिर। माईनिंग प्लान के अनुसार नदी तट के किनारे से 10 प्रतिशत छोड़कर उत्खनन किया जाना प्रस्तावित है।
12. खदान स्थल पर रेत की मोटाई - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा - 60,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़ड़ा (Pit) खोदकर उसकी नारदविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड़ड़ा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 27 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनाम भी प्रस्तुत किया गया है।
13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-
- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
 - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ड्राफ्ट नमांक 283/खनिज/स.ति.1/रेत/2020 जगदलपुर, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार यह एक नवीन स्वीकृत रेत खदान है।

14 खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) आटा दिनांक 31/01/2020 को रेत सतह के लेवलस Levels लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोड्राफ्ट सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15 कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 30	2%	Rs. 0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Balputi	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Plantation work	Rs. 0.20
			Total	Rs. 0.60

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

19 रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

20 परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःसंरचना संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। हुन्दावती नदी कड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःसंरचना होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवंटित खदान (घाम-बालपुरी) का रकबा 3 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्वटर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान की-2 श्रेणी की मांगी नहीं।

2. वृक्षारोपण कार्य - प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे - 500 नग अर्जुन के पौधे तथा क्षेत्र 500 नग (जामुन, करंज, बारा, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पट्टन मार्ग पर 500 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) वास्तु सही आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –

- i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक की नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
- ii. रेत खनन के उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित विज्ञ बिन्दुओं पर किया जायेगा।
- iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इसी विज्ञ बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।
- iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित विज्ञ बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वेसम्मति से श्री दीपक गुप्ता, बालपुरी रोण्ड माईनिंग को खसरा क्रमांक 245, ग्राम-बालपुरी, तहसील-बजावण्ड, जिला-बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रहते हुए कुल 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-04 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्याप्तनीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई भूमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेंड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण सम्बंधित निर्धारण प्रक्रिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को लदानुसार सुनिश्चित किया जाए।

8. मेसर्स श्री विटलुरी प्रसाद राव (इंजिनर रोण्ड माईनिंग, ग्राम-इंजरम, तहसील-कोटा, जिला-सुकमा), पुरानी बस्ती कोटा, तहसील-कोटा, जिला-सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1113)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एसआईएन / 135829 / 2020, दिनांक 09 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान धाम-इजारम, तहसील-कोटा, जिला-सुकमा स्थित खसरा क्रमांक 174, कुल सीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान नवरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,42,500 धानमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का डिग बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर डिग मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेथ मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी वेथ मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जायें। डिग मैप में टेम्परी वेथ मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खानन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की मोटाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खानन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन विधि की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।


8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
9. स्थानि निरीक्षक एवं परिवर्जित प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिव्ये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार स्थानि निरीक्षक एवं परिवर्जित प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दुर्गा सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अरुपनी झाड़ी, स्थानि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत इतरम का दिनांक 24/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, स्थानिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो स्थानि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दलेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1624/स्थानिज/उत्ख.पौ /2019-20 दलेवाड़ा, दिनांक 06/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (स्थानिज शाखा), जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 1346/स्थानिज/रेत/2020 सुकमा, दिनांक 06/01/2020 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (स्थानिज शाखा), जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 1406/स्थानिज/दि.जी./2019-20 सुकमा, दिनांक 24/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, परघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, झील, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एस.ओ.आई. का विवरण - एस.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (स्थानिज शाखा), जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक 1313/स्थानिज/रेत/रिवरी अधिशन/2019 सुकमा, दिनांक 28/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु कर है।
7. कार्यालय वन संचालिकाधिकारी, सुकमा वनसंचालक, जिला-सुकमा के ज्ञापन क्रमांक/प.उ.अ./69 सुकमा, दिनांक 09/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से वास्तविक दूरी 6 से 7 कि.मी. है।



8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-कडीगुडा 0.67 कि.मी., स्कूल ग्राम-इजरम 3.2 कि.मी. एवं अस्पताल कोटा 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान को 500 मीटर की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 314 मीटर, न्यूनतम 265 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 147 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमानित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 1,50,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 1 गड्ढा Pit खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापन के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3.5 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु योजनाएं भी प्रस्तुत किया गया है।
13. **खदान क्षेत्र में रेत सतह को लेवलर्स** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मनसून (Post-Monsoon) काटा दिनांक 20/02/2020 को रेत सतह को लेवल्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
14. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के संस्था विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs 34	2%	Rs 0.68	Following activities at Nearby	

			Government Primary School Village-Fandiguda
			Rain Water Harvesting System
			Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets
			Rs. 0.14
			Plantation work
			Rs. 0.24
			Total
			Rs. 0.68


समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
16. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान की नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर है, जबकि नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए। खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 314 मीटर है। अतः नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी। साथ ही उक्त गणना के आधार पर माईनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेक्षण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्ण से संघालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की न्यूनतम दूरी को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए गैर माईनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं माईनिंग क्षेत्र का सीमांकन कर खनिज विभाग से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माईनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



9. मेसर्स श्री राकेश कुमार साहू (नगर पंचायत सुकमा रोण्ड माईन, सुकमा, तहसील व जिला-सुकमा), उताई नाका, जेल चौक, पटानभपुर, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1144)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयागतल नम्बर - एरआईए / सीजी / एमआईएन / 138553 / 2020, दिनांक 25 / 01 / 2020 ।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान सुकमा, तहसील व जिला-सुकमा स्थित माटो ऑफ खाररा क्रमांक 138, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शबरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-83,800 मन्मीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारों का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. शान पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारों की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मत्वाट, अस्पताल, स्कूल आदि प्रतिवर्षित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारों की पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारों प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का विड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह को लेवलस Levels लेकर विड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस Levels हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जायें। विड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की नोंटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जायें।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निरीक्षण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निरीक्षण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), उत्तीरगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाई की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशासन की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

8. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. सीज सीमा से निकलतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
11. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) को साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिव्य जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एकईएसी, छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेंद्र कुमार राहु, प्रोफेसर्डोर एवं श्री अरुनी झाड़ी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद सुकमा का दिनांक 26/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्दाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्दाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दत्तवाड़ा के आपन क्रमांक 1688/खनिज/उत्ख.यो./2019-20 दत्तवाड़ा, दिनांक 16/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा के आपन क्रमांक 1349-ए/खनिज/रेत/2019 सुकमा, दिनांक 10/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा के आपन क्रमांक 1349-बी/खनिज/रेत/2018 सुकमा, दिनांक 10/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदिर, मरुघट, अस्पताल, स्कूल, पूज, बांध, डीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुकमा के डायन क्रमांक 1942/खनिज/रेत/रिपर्स ऑपरेशन/2019 सुकमा, दिनांक 07/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सुकमा वनमण्डल, जिला-सुकमा के डायन क्रमांक/4.13.8/449 सुकमा, दिनांक 25/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से दूरी 3 से 5 कि.मी. है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण सरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-सुपनार 0.03 कि.मी., स्कूल ग्राम-सुपनार 0.25 कि.मी. एवं अस्पताल सुकमा 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिशोधित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 490 मीटर, न्यूनतम 345 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 138 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट के बायें किनारे से दूरी 273 मीटर से 200 मीटर तक एवं बायें किनारे से दूरी 87 मीटर से 10 मीटर तक है, जबकि नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की महारूई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित महारूई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुसूचित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 93,800 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़ड़ा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक महारूई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जासकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड़ड़ा Pit खोदकर उसमें रेत सतह की महारूई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2 मीटर है। रेत की वास्तविक महारूई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-**
 1. पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत सुकमा के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 138, क्षेत्रफल 6.4 हेक्टेयर, क्षमता-64,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक

18/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 2 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों केपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। मास अभ्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
 - iii. वर्ष 2016-17 में 477 घनमीटर, वर्ष 2017-18 में 1002 घनमीटर एवं वर्ष 2018-19 में निरंक रेत उत्खनन किया जाना बताया गया है।
 - iv. निर्धारित शर्तानुसार 1,500 में से 100 नम पीधे का रोपण किया गया है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का रिज बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) का दिनांक 22/02/2020 को रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली को ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 41	2%	Rs. 0.82	Following activities at Nearby Government School Village-Sukma	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with fencing	Rs. 0.20
Total			Rs. 1.20	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

16. प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि स्वीकृत रेत खदान की नदी तट से दूरी, नदी घाट के चौड़ाई का न्यूनतम 10 प्रतिशत क्षेत्र (35 मीटर) छोड़े जाने के लिए लीज क्षेत्र में 3,100 वर्गमीटर क्षेत्र को नैर माईनिंग क्षेत्र रखा गया है। अतः रेत उत्खनन का कार्य अवशेष 4.89 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है।

17. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भरई का कार्य स्वीडर द्वारा कराया जाता प्रस्तावित है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुन-भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। शबरी नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुन-भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (नगर पंचायत सुकमा) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान की-2 बेगी की मानी गयी।

2. **वृक्षारोपण कार्य** - प्रकृष्टिकता के अन्तार पर नदी तट पर कुल 2,500 नग पौधे - 1,250 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,250 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पट्टण मार्ग पर 1,000 नग पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत साइट अध्ययन (Sitabon Study) करायेगा, ताकि रेत के पुन-भरण (Replenishment) बाधा सही आंकड़े रेत उत्खनन का नदी-नदीतल, स्थानीय जनस्यति जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाइन डाटा -**

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।

ii. रेत खनन के उपरान्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. चर्चीसगढ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से श्री राजेंद्र कुमार साहू, नगर पंचायत सुकमा रोण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 138, सुकमा, तहसील व जिला-सुकमा, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से गैर माईनिंग क्षेत्र 3.100 वर्गमीटर क्षेत्र कम करके पर 4.00 हेक्टेयर क्षेत्र में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-05 में वर्णित शर्तों की अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई धमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्लॉट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
6. गैर माईनिंग क्षेत्र एवं आवासीय माईनिंग क्षेत्र का सीकें पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने एवं माईनिंग प्लान में इस कार्य संशोधन कराने के उपरान्त ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।

राज्य स्तर पर्यावरण संरक्षण निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) धनौसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्री आत्मा राम साहू (रामपुर रोण्ड माईन, ग्राम-रामपुर, तहसील-नरहरपुर, जिला-उ.ब. कांकेर), श्यामतराई, जिला-धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1117)

ऑनलाईन आवेदन - डायोजल नम्बर - एसआईए / सीटी / एमआईएन / 136039 / 2020, दिनांक 09 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गैर खनिज) है। यह खदान ग्राम-रामपुर, तहसील-नरहरपुर, जिला-कांकेर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1083, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम भूत, वायु, एनिकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के आउटरीम तथा इनरस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर सर्वेक्षण में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड में टेम्परी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हे खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टर में कम से कम एक गड्ढा (पिंड) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सम्पादात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सम्पादात निवारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिदेयित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरापन की अवतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संबन्धित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कता कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परिवीजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / यस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परिवीजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आत्मा राम राठू, प्रोफेसर्डर एवं श्री वी.एन. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्पत्ति पाई गई—

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत जुनवानी का दिनांक 02/03/2014 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** — कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** — माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-रु.व. कार्कर के ज्ञापन क्रमांक 668/खनिज/जलवा.यो.अनु./2019-20 कार्कर, दिनांक 08/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. काकोर के आपन क्रमांक 867-ए/खनिज/रेत(मूल)/2019-20 काकोर, दिनांक 08/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. काकोर के आपन क्रमांक 867-टी/खनिज/रेत(मूल)/2019-20 काकोर, दिनांक 08/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.ब. काकोर के आपन क्रमांक 847/खनिज/रेत (द्वितीय आवेदन)/2019 काकोर, दिनांक 03/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. **परिष्कारणा प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि सीज सीमा से 250 मीटर में कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है।** सीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सीज ही प्रस्तुत की जाएगी।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आबादी ग्राम-बन्डनी 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-रामपुर 1 कि.मी. एवं अस्पताल काकोर 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्यमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान को अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम में 1 कि.मी. की दूरी तक पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परिष्कारणा प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, फंडीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली थॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी घाट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 408 मीटर, न्यूनतम 365 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 159 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी घाट के दाहिने किनारे से दूरी 45 मीटर से 43 मीटर तक एवं बाएँ किनारे से दूरी 214 मीटर से 166 मीटर तक है।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंगल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा



(PMD) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गड़दा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
14. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलर्स - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) बाटा दिनांक 23/02/2020 को रेत सतह के लेवलर्स (Levels) लेकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से बर्दा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 25	2%	Rs. 0.50	Following activities at Nearby Government School Village-Rampur	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.25
			Plantation work with fencing	Rs. 0.25
			Total	Rs. 1.20

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

16. रेत उत्खनन में मुआयन विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कसबत पतना प्रस्तावित है।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति भंगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनर्भरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तात्काली आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनर्भरण होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. आवेदित खदान (घाम-रामपुर) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कलस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. वृक्षारोपण कार्य — प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नम पौधे — 750 नम अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नम (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। पहलू मार्ग पर 1,000 नम पौधे लगाए जायेंगे।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत ग्राउंड वॉटर (Situation Study) करायेंगे, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं आकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंघर्ष, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा —
 - i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवल्स (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा।
 - ii. रेत खनन के उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।
 - iii. इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्ही गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।
 - iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित गिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एराईजाईएए, फ्लोसागड को प्रस्तुत किए जायेंगे।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से भी आत्म सम सतह, रामपुर रोपण माईनिंग को चार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1083 घाम-रामपुर, तहसील-नरहरपुर, जिला-बुध काँकर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-06 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुमति की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रेत बैंड में

भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेरासं वी शशीकांत साहू (वारामा रोपड माईन, ग्राम-वारामा, तहसील व जिला-कांकेर), बैकुंठ नगर गिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1126)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 138564 / 2019, दिनांक 12 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-वारामा, तहसील व जिला-कांकेर स्थित वारामा क्रमांक 131, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-1,18,750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बाघ, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 किन्टुअर्स का गिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस Levels लेकन गिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परी बेच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। गिड मैप में टेम्परी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपसंग फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की नौटायें जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पवनमात्र भी प्रस्तुत किया जायें।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निवारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के फाइन

में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संघालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसम्पु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसाधक को खदान में रेत की लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रसाधक को एस.ई.ए.सी., उत्तीरागढ़ के ड्रापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दीप मोहन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री बी.एल. क्यार, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई -

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन के संबंध में नगर पंचायत धारणा का दिनांक 08/04/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-उ.व. कार्कर के ड्रापन क्रमांक 908/खनिज/उत्खनन/2019-20 कार्कर, दिनांक 10/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.व. कार्कर के ड्रापन क्रमांक 9057/खनिज/रेत(मूल)/2019-20 कार्कर, दिनांक 10/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरुक्त है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.व. कार्कर के ड्रापन क्रमांक 905-सी/खनिज/रेत(मूल)/2019-20 कार्कर, दिनांक 10/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाग, वीज एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र विहित नहीं है।

6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-उ.प्र. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 878/खनिज/रेत (रिवर ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 09/01/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु की है।
7. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, कांकेर जलमण्डल, जिला-कांकेर के ज्ञापन क्रमांक/मा.सि./2020/1807 कांकेर, दिनांक 24/02/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से दूरी 5 कि.मी., सीतानदी अभयारण्य 100 से 150 कि.मी. एवं कागेर घाटी उद्यान 250 से 300 कि.मी. है।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निम्नलिखित आबादी घन-घनत्व 2.5 कि.मी. एवं अस्पताल घन-घनत्व 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के अपस्ट्रीम में 1,300 मीटर की दूरी पर पुल स्थित है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली फॉल्स्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 274 मीटर, न्यूनतम 225 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 155 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से दूरी 113 मीटर बताया गया है। अनुमोदित माइनिंग प्लान में नदी तट से दूरी 10 मीटर बताया गई है, जबकि खदान की सीमा की नदी तट से न्यूनतम दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत होनी चाहिए।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माइनिंग प्लान अनुसार खदान में माइनेबल रेत की मात्रा – 1,25,000 म3 है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक मड़दा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 मड़दा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है। रेत की वार्षिक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

13 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत कारामा के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 131, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, अंश-75,000

धनसौकर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सभायात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-उ.ब. कार्कर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 29/05/2018 को द्वारा जारी दिनांक से 60 दिवस हेतु जारी की गयी थी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के फालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गार अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
 - iii. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी स्वनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
 - iv. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
14. **खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर जर्मन में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) आटा दिनांक 21/02/2020 को रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर उन्हें स्वनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के जो.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सभी उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 52.5	2%	Rs. 1.05	Following activities at Nearby Government Girls School Village-Charama	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.64
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with fencing	Rs. 0.30
Total			Rs. 1.14	

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मशीन का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
17. अनुमोदित माइनिंग प्लान में नदी तट के किनारे से दूरी 10 मीटर बताया गई है, जबकि नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए। खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 247 मीटर है। अतः नदी के घाट

की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी। साथ ही उक्त गणना के आधार पर माइनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की न्यूनतम दूरी को गैर माइनिंग क्षेत्र घोषित करते हुए गैर माइनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। गैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र का सीमांकन कर खनिज विभाग से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के फलन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. विगत वर्षों में किए गए उल्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
4. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स श्री जी. सदीप कुमार (अतागढ़ रोड माईन, ग्राम-अतागढ़, तहसील-अतागढ़, जिला-कांकेर), शांति नगर, गिलाई, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1128)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 138579/2020, दिनांक 12/01/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-अतागढ़, तहसील-अतागढ़, जिला-कांकेर स्थित खरास क्रमांक 1238, कुल क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उल्खनन जोगी दहस नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उल्खनन क्षमता-1,18,750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020-

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति रक्रेट की दूरी वास्तु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उल्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित खडल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर, वर्तमान में रेत स्राह के लेवल्स (Levels) लेकर गिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। गिड में

टेम्पलेटों के साथ मार्क (TBM) को भी पर्यावरण एवं खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़दा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रक्रिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्रक्रिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही दूष्कारिता की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनसंपन्न प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रकल्प में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरांगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु भी आंशिक अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री वी.एल. कपारे खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में पूर्व में भागी गई वांछित

जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स श्री अहमद रजा (बालूद रोण्ड माईन ग्राम-बालूद, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा), ग्राम-बालूद, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-द.ब. दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1119)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 136090 / 2020, दिनांक 09 / 01 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गैंग सॉमिज) है। यह खदान ग्राम-बालूद, तहसील-दन्तेवाड़ा, जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 31, कुल क्षेत्र क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डकनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-98,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बंध, एन्रीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी बाधत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत खाह के लेवलस Levels लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस Levels हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेस मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेस मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परी बेस मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हीं सभिज विभाग से प्रमाणीकरण उपसंत फोटोग्राफस सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, सभिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।

6. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिकि भाषा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिकि दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्राण्य में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत को लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन कोटोद्यमस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एर.ई.ए.सी. प्रतीसमूह के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोख जमीन, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अरवनी झाड़ी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नवी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापति प्रमाण पत्र - रेत उत्खनन की संघ्य में ग्राम पंचायत बलूच का दिनांक 22/08/2019 का अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. विन्हाकित/सीमाकित - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. उत्खनन योजना - माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-दक्षिण बस्तर दत्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1614/खनिज/उ.वो./2019-20 दत्तेवाड़ा, दिनांक 31/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण बस्तर दत्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1603/खनिज/रि.अ. /2019-20 दत्तेवाड़ा, दिनांक 24/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या शिरोक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-दक्षिण बस्तर दत्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1603/खनिज/रि.अ. /2019-20 दत्तेवाड़ा, दिनांक 24/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरफट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बाँज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।



6. **एल.ओ.आई. का विवरण** – एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-दक्षिण प्रखर दन्तेवाड़ा के प्रमाण क्रमांक 1508/खनिज/रि.ओ./2019 दन्तेवाड़ा, दिनांक 25/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज सीमा से 250 मीटर में कोई वन क्षेत्र स्थित नहीं है। लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग ने अनामतित प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। वन विभाग से अनामतित प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर शीघ्र ही प्रस्तुत की जाएगी।
8. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रमाण में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – निकटतम आवादी ग्राम-बालूद 1 कि.मी., स्कूल ग्राम-बालूद 1 कि.मी. एवं अस्पताल दन्तेवाड़ा 8 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान से 500 मीटर की दूरी तक कोई पुल/एनीकट स्थित नहीं है।
10. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिस्टिकली पील्बुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिक्रियित किया है।
11. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** – आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई – अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 73 मीटर दर्शाई गई है। खदान की नदी तट से बायें किनारे से दूरी 15 मीटर एवं दायें किनारे से 10 मीटर है।
12. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** – आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमानित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 86,000 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़दा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 1 गड़दा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु योजनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
 1. पूर्व में सरयान् ग्राम पंचायत बालूद के नाम से रेत खदान फाट ऑफ सरयान् क्रमांक 31, क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर, क्षमता-80,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण, छातीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय

स्वीकृति दिनांक 27/11/2015 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। माद अप्पवन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
- iii. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत नहीं की गई है।
- iv. पूंसारोपण नहीं किया गया है।

14. **खदान क्षेत्र में रेत सहाह के लेवलस** – रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का गिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) काटा दिनांक 31/01/2020 को रेत सहाह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

15. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 48	2%	Rs. 0.96	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Balud	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with Fencing	Rs. 0.30
Total			Rs. 1.00	

16. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं मरई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

17. नदी तट के दायाे किनारे से दूरी 15 मीटर एवं बायाे किनारे से दूरी 10 मीटर बंतायी गई है, जबकि नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी होनी चाहिए। खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई अधिकतम 160 मीटर है। अतः नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी को मीर मरईनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना प्रस्तुत की जानी होगी। साथ ही उचित गणना के आधार पर मरईनिंग प्लान में संशोधन कराया जाना आवश्यक है।

18. समिति की संज्ञान में यह लक्ष्य आया कि स्वीकृत रेत खदान बालुद 'अ' के समीप दो अन्य रेत खदान बालुद 'ब' एवं बालुद 'स' भी स्वीकृत हैं। जिसकी वार्षिक दूरी की जानकारी प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. नदी के घाट की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की न्यूनतम दूरी को गैर-माइनिंग क्षेत्र घोषित करने हुए गैर माइनिंग क्षेत्र की गणना की जाए। गैर माइनिंग क्षेत्र एवं माइनिंग क्षेत्र को सीमांकन कर खनिज विभाग से अनुमोदन कराया जाए तथा संशोधित माइनिंग प्लान प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज साखा) द्वारा खदान वास्तु अ, ब एवं स को एक ही प्रमाण पत्र (नक्शा सहित) में खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल को दूरी सहित दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
5. कम विभाग से अनारथित प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए।
6. सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव में प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स श्री जितेन्द्र तेलामी (ई-1 बड़े तुमनार रोण्ड माईन, ग्राम-बड़े तुमनार तहसील-गीदग, जिला-दतेवाड़ा), नैलसनार, तहसील-भैरमगढ़, जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1065)

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एएआईए / सीजी / एमआईएन / 131648 / 2019, दिनांक 16 / 12 / 2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने से जामन दिनांक 02 / 01 / 2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वापिस जानकारी दिनांक 15 / 01 / 2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीन खनिज) है। यह खदान ग्राम-बड़े तुमनार तहसील-गीदग, जिला-दतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 751, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टर में प्रस्तावित है। उत्खनन अकिनो नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-91,020 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04 / 02 / 2020

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनोकाट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाधक जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टर 4 बिन्दुओं का सिड बनाकर,

वर्तमान में रेत सतह को लेवलस (Levels) लेकर चिह्न नैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एन. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जायें। चिह्न नैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की पोंटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एसईआईएए), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डीईआईएए), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिविहित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही पुनरावेक्षण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से सम्बन्धित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कर कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत की लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सूक्ष्मत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जितेन्द्र तेलमी, अधिसूक्त प्रतिनिधि एवं श्री अश्वनी झाड़ी, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना

समय नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अभ्युक्त किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही नई खण्डित जानकारी एवं समस्त सुरक्षित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. मेरास श्री दीपक कुमार शर्मा (जी-2, बड़े सुरोखी रोड माईन, ग्राम-बड़े सुरोखी, तहसील-गीदम, जिला-दतेवाड़ा), एस.ई.सी.एल., मानिकापुर, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1084)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 134033/2019, दिनांक 29/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से आपन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खण्डित जानकारी दिनांक 19/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बड़े सुरोखी, तहसील-गीदम, जिला-दतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 440, कुल क्षेत्र क्षेत्र 3.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन डकिनी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-68,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020-

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एमीकॉट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंधित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल को अपरट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरान्त फोटोग्राफ सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के घाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) उत्तरीसंग्रह अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (जी.ई.आई.ए.ए.) उत्तरीसंग्रह द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही कुशारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्ष में किए गए उखनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी सविज्ञ विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम दूरी क्षेत्र की वार्षिक पूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनायास प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. स्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार स्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उत्तरीसंग्रह को ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गुरवचन सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अरुणी झाड़ी, स्वनि निरीक्षक उपस्थित हुए। उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति को समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में जारी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुरंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिने जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स श्री दीपक कुमार शर्मा (जी-1, बड़े सुरोखी सेन्ड माईन, ग्राम-बड़े सुरोखी, तहसील-गीदम्, जिला-दतेवाड़ा), एस.ई.सी.एल., मनिक्पुर, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नरती क्रमांक 1085)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 134052/2019 दिनांक 29/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में कमीषी होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/01/2020 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई।



प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गोण खनिज) है। यह खदान घाम-बहे सुठेखी, तहसील-मीरम, जिला-दोबाहा स्थित खसरा क्रमांक 230, कुल लीज क्षेत्र 4.5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन ज्वेली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन बसता-85,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की मसूची एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा लक्षमण सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बाघ, एनीमेट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत की दूरी संबंध जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर, प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का सिड बनाकर, वर्तमान में रेत साह के लेवलस Levels) लेकर सिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवलस Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी वेब मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी वेब मार्क (TBM) में आरएस को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। सिड मैप में टेम्परी वेब मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, जन्म खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरान्त फोटोग्राम्स सहित जानकारी / प्रस्तावित प्रस्तुत किये जाये।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की सीढाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर वस्तुि वारसाविक गड्ढाई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वारसाविक गड्ढाई हेतु पचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लबाई एवं सीढाई तथा नदी के पाट की सीढाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राम्स सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संभावित है, तो विगत वर्ष में किए गए उत्खनन की वारसाविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वारसाविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनामतित प्रमाण पत्र (प्रघतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आवेदित बैठक में

उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दरतावेज (अटलन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार स्वनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. प्रतीसमाह के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गुरवचन सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री अश्वनी झाड़ी, स्वनि निरीक्षक उपस्थित हुए। उन्को द्वारा बताया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समक्ष प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दरतावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

17. मेरासं रोहित कुमार कुंभकार (कांतीपुर रोण्ड माईन, ग्राम-कांतीपुर, तहसील-ओड़नी, जिला-सूरजपुर), अरीद, लाटाबोड, जिला-बालीद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1075)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 132904 / 2019, दिनांक 21/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 08/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 16/01/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेल खदान (मीण खनिज) है। यह खदान ग्राम-कांतीपुर, तहसील-ओड़नी, जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 167/394, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन रेहर नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-47500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 309वीं बैठक दिनांक 04/02/2020:

समिति द्वारा प्रकल्प की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा सत्ताम्य सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एम्बिकट एवं जल आपूर्ति स्कीम की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेल उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेल साइट के लेवलर (Levels) लेकर ग्रिड में प्रदर्शित कर प्रस्तुत

किये जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परी बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परी बेच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जाये। विड मैप में टेम्परी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणिकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी / वस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर कॉमान में उपलब्ध रेत की सौदाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
4. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की सौदाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण सभाघाट निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिशेषित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षाच्छाया की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. सीमा सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (अद्यतन) प्रस्तुत किया जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एन. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आभासी माड की आयाजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुरांगत जानकारी / वस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

उदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/02/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 313वीं बैठक दिनांक 25/02/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रवीन्द्र सिंह, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत समरा का दिनांक 03/10/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **विन्हाकित/सीमाकित** - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान विन्हाकित/सीमाकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** - माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-कोरिया के आपन क्रमांक 1783/खनिज/2019 बैकुण्ठपुर दिनांक 13/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक /खनिज/2019 सुरजपुर, दिनांक 20/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरक है।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/सरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक /खनिज/2019 सुरजपुर, दिनांक 20/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **एल.ओ.आई. का विवरण** - एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सुरजपुर के आपन क्रमांक 1920/सी.ख.रे./रि.ओ./न.क्र.01/2019 सुरजपुर, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु है।
7. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 26/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. **महत्वपूर्ण सरचनाओं की दूरी** - निकालतम आबादी एवं स्कूल ग्राम-काशीपुर 0.85 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 32 कि.मी. दूर है। स्वीकृत रेत खदान के डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी पर एनीकट स्थित है।
9. **पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोइन्ट्स एवं पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. **खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी** - आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के घाट की चौड़ाई - अधिकतम 840 मीटर, न्यूनतम 780 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई - 160 मीटर दर्शाई गई है। खदान की सीमा नदी तट से 85 मीटर दूरी पर है।
11. **खदान स्थल पर रेत की मोटाई** - आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई - 2 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई - 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनिंग रेत की मात्रा - 47,500 घनमीटर है। रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सातह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टर पर नै कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु



प्रस्तावित स्थल पर 1 मड़ड़ा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 1.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

13. खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवलस - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 विन्दुओं का गिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मनसून (Post-Monsoon) जमा दिनांक 22/02/2020 को रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर, उन्हें स्थानिक विभाग से प्रमाणीकरण उपरंत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से सर्वा उपरंत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 22.85	2%	Rs. 0.46	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Balud	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Total	Rs. 0.5

15. रेत उत्खनन में मुअल विधि से एवं भराई का कार्य जोड़र द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि -

i. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के अनुसार:-

"Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side."

ii. वर्तमान में सीज, एनीकट से 100 मीटर की दूरी पर स्वीकृत है। नये गाइडलाइन्स अनुसार स्वीकृत रेत खदान के डाउनस्ट्रीम में एनीकट / पुल से कम से कम 500 मीटर की दूरी आवश्यक है। अतः सीज में अतिरिक्त 400 मीटर लंबाई को गैर-नाईनिंग क्षेत्र घोषित कर गणना

प्रस्तुत की जानी होगी। स्वीकृत एल.ओ.आई. अनुसार रेत खदान की लंबाई 345 मीटर है। रेत उत्खनन हेतु अतिरिक्त 400 मीटर लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित करने पर स्वीकृत एल.ओ.आई. क्षेत्र में रेत उत्खनन के लिए क्षेत्र संच नहीं होगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि—

1. नये Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 अनुसार रेत उत्खनन हेतु अतिरिक्त 400 मीटर लंबाई को गैर माईनिंग क्षेत्र घोषित करने पर स्वीकृत एल.ओ.आई. क्षेत्र में रेत उत्खनन के लिए क्षेत्र संच नहीं होगा। अतः आवेदित प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाना संभव नहीं है।

2. आवेदन को डि-लिस्ट/निस्त किन्ने जाने की अनुरांता रही गई।

राज्य स्तर पर्यावरण सभाघात निर्धारण प्राधिकरण (एन.ई.आई.ए.ए.) प्रतीसमूह को तदानुसार सूचित किया जाए।

पेठक धन्यवाद छापन के साथ संपन्न हुई।

(धोराकर निरुपस सदिपान)

अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
प्रतीसमूह

(वर्नेन्ट शर्मा)

अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
प्रतीसमूह

मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, प्रतापगढ़ सेम्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1122, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम-प्रतापगढ़, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) में माण्ड नदी से रेत उत्खनन क्षमता 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करवायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बावत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनस्वस्थि, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरंत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़ें अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एच.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई शक्तियों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल विन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल स्तर को नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रीब) को ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 17 मीटर की दूरी को बंद किया जाएगा। किसी भी पुलिस स्टेशन, बांध, एनोकाट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, लवणता एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें एक विशिष्ट आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। कछुओं के प्रजनन इकाइयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लॉडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय इस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारमोतिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से डकें पूरे वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर से वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर सदान प्रधान द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थायीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 500 नग पौधे पट्टीव मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा काटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए -

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation



			(in Lakh)
			Following activities at Nearby Government Higher Secondary School Village-Pratappgarh
			Rain Water Harvesting System
Rs. 85	2%	Rs. 1.70	Potable Drinking Water Facility
			Running Water Facility for Toilets
			Plantation work
			Total
			Rs. 1.78

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यवार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रीत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेंगे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / जल संयंत्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. जल संयंत्र पर्यावरण संरक्षण नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रीत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/सर्तों एवं तदनुसार जारी विधा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कमिग्न भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकल्पनीय सुविधा, मीठाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. भूमिकों का समय-समय पर आक्युपेशनल हेल्थ सर्विलेस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप तांत्रिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एच.ई.आई.ए.ए. जल संयंत्र / भारत सरकार, पर्यावरण, क्ल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व-अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समर्पित पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों को जातिघमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में विनो भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आम-पाम व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नामपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों की अनुपालन के संकथ में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अवधि (प्रबंधन त्पात्तन एवं सीमापार संवर्तन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विचारण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जान-बूझी शर्तों सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने वाकत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्ण अनुमति को बिना नहीं किया जाए।

31. उत्तीसमसुद्ध पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग कंसुड एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य ~~सचिव~~ एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री सदीप गुप्ता, सबलपुर रोड भाईन

की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में से 2.92 हेक्टेयर, ग्राम-सबलपुर, तहसील व जिला-कोण्डागांव (छ.ग.) में नारगी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 29,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें


1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करावेगा ताकि रेत की पुनर्भरण (Replenishment) बावत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसंपत्ति, जीव एवं पशुम जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अभिलेखित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल स्क्वा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 2.92 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 29,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। गैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का भौके पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने एवं माईनिंग प्लान में इस बाबत संशोधन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह / जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपरस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इसी ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. राजौरागढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिषेधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे

(Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हित, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर गहराई तक की रेत नदी तट (हार्ड बैंक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की रींग से न्यूनतम 15 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टेशन, बांध, एनीकल, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभावी वन्य लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले पार्टिकुलेट डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से इको हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को अगता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 1,000 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कान्टेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 23	2%	Rs. 0.48	Following activities at Nearby Government School at Village - Sambalpur	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.45
			Plantation work	
Total			Rs. 1.00	

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्याचार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेट उत्खनन आरंभ करने की पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र / राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ मीण खनिज नियम, 2015, राज्य सरकार द्वारा रेट उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 की प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कोयिंग-शमिक कार्य पर लगाने जाते हैं तो ऐसे शमिकों के आवास संबंधित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. शमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितसंजीव सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. शमिकों का समय-समय पर आयुपूर्वशाला हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।



24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में जिले भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अफिलोकाभ्य भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की त्रै मासिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संवहन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक हानिकारक विना अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) को अवधान विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहीत सहीत किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़

इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नहीं तर्क निर्दिष्ट करने वाला निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रती को उत्तम क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री हरेंद्र सिंह मदीरिया, कोरपाल कानापाल सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 172 एवं 66, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर, ग्राम-कोरपाल कानापाल, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर (छ.ग.) में इन्डाकली नदी से रेत उत्खनन क्षमता 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःपूरण (Replenishment) बाधा सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी बल्सर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र को अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी साह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसको अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी साह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र को अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इनही बिंदु बिन्दुओं पर रेत साह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. धनतीसगढ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत साह के पूर्व निर्धारित बिंदु बिन्दुओं पर रेत साह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई भूमिकरों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिबर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग प्लार्ट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी साह,

घाँसों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।


8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई को 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 13 मीटर की दूरी को बाध किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टाम्पडेम, बांध, एनीकॉट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का रंग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इलाकों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन ट्रिप के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटीव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अभिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन सार्वजनिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से टर्क ट्रु वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करज, सीसू, आम, इमली, सौरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,200 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 600 नग पीछे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund

		(in Lakh)	Allocation (in Lakh)	
Rs. 15	2%	Rs. 0.30	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Korpai	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation work	Rs. 0.10
			Total	Rs. 0.60

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्याचार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग शक्ति कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे शक्तियों के आवास पश्चात् व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
21. शक्तियों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल सिकित्साकीय सुविधा, मीकाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. शक्तियों का समय-समय पर आवश्यकतामूलक हेल्थ सर्वेलेस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की स्वरक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राव को मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र को आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की आर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नयापुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के दैर्घानियों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संका में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रकल्प इन्धान एवं सीमापार संतलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ से प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारों सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तों निर्दिष्ट करने कायदा निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.



छत्तीसगढ़ / भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति को विरुद्ध अपील मंत्रालय वीन ट्रीब्यूनल को समझ, मंत्रालय वीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 18 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री दीपक गुप्ता, बालपुटी रोपड गाईन

को खसरा क्रमांक 245, कुल लीज क्षेत्र 3 हेक्टेयर, ग्राम-बालपुटी, तहसील-बकावण्ड, जिला-बस्तर (छ.प्र.) में इन्दावती नदी से रेत उत्खनन समता 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधित नहीं आकड़े रेत उत्खनन का नदी, नदीतट, स्थानीय जनसमिति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के घाटी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल संख्या 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 3 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 45,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र की अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक की नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरोक्त मानसून के पूर्व (सर्द माह की अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्ही चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. अलौसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण साधन (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। निरंतर वेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लेवडिंग फाईट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की उपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रीक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 14 मीटर की दूरी के बाद किया जाएगा। किसी भी पुलिस स्टेशन, बांध, एम्प्लेट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थानीय संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, लव्हीटिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन क्षेत्र उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस-पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन चिन के समय ही किया जाए; यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रकारों यथा लॉडिंग / अल्लोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्लूइडिबल डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाएं। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से डके हुए वाहन से किया जाए ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को समता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर लीच क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,000 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 500 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2016 के अनुसार सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation

			(in Lakh)	
Rs. 30	2%	Rs. 0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Balpub	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Plantation work	Rs. 0.20
			Total	Rs. 0.60

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्याचार विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रैत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रैत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर खड़े कर्मियों श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल निकालिसाक्षीय सुविधा, मोबाइल टायलेंट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. श्रमिकों का समय-समय पर आयुपूर्वशनल हेल्थ सर्वेयेस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।



25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की समीक्षा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव की मात्राओं को और कटौत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवरोधक हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रस्तुत शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों वन अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हवालान एवं सीमाधार-संचालन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती हैं।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विफलता अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने बाध्य निर्णय ले सके। कठान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.,

Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului



Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului

Prezentarea proiectului


Prezentarea proiectului



मेसर्स श्री शकेश कुमार साहू, नगर पंचायत सुकमा रोण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 138, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में से 4.69 हेक्टेयर, सुकमा, तहसील व जिला-सुकमा (छ.ग.) में शबरी नदी से रेत उत्खनन क्षमता 46,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) बाधा रही जाकड़े, रेत उत्खनन वा नदी, नदीतट, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त माद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किन्ही क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 4.69 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 46,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। नैर माईनिंग क्षेत्र एवं अवशेष माईनिंग क्षेत्र का सीकें पर खनिज विभाग से स्पष्ट सीमांकन कराने एवं माईनिंग प्लान में इस संबंध में संशोधन कराने के उपरांत ही खनिज विभाग द्वारा उत्खनन की अनुमति दी जाएगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी सतह के लेवलस (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाएगा। उपरोक्त सभी नदी सतह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुणा 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इनही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. अर्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई भूमिगत द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। सिंकर बेंक में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लॉडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. रेत का उत्खनन केवल किन्हीं-तीनों क्षेत्रों में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हाई रीब) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
8. रेत उत्खनन नदी तटी से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटी का क्षरण न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 49 मीटर की दूरी का बांध किया जाएगा। किसी भी पुलिस स्टेशन, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्धारित न हो। काछुआँ के प्रजनन इकाईयाँ / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भरवाई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों तथा जोड़िन / अमलाजिन आदि से उत्खनन होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएँ जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर स्वयंसेवक द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, शीशु, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 2,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 1,000 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए-



Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 41	2%	Rs. 0.82	Following activities at Nearby Government School Village-Sukma	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Potable Drinking water Facility	Rs. 0.30
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Plantation work with fencing	Rs. 0.20
			Total	Rs. 1.20

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यावर विस्तृत लागत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ ग्रीन इनिशियटिव, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 2/3/2008 के प्रावधानों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कंमिन् भूमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकेंद्रितकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. भूमिकों का समय-समय पर आम्बुपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जावे।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसार वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
25. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संशोधन रूप से ध्यान न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त की मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.cmaacg.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति ने दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा राधपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग भी जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संकष में भी जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकलमय अपशिष्ट (प्रकलन हथालन एवं सीमागार संभालन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहीत सुनिश्चित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़

इस पर विचार कर शर्तों की तपस्युताता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने काकात निर्णय ले सकें। अखान में कोई भी विस्तार अथवा अन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मन्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केंद्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय से 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेंगी।

सदस्य सचिव, ~~एस.ई.ए.सी.~~

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेसर्स श्री आत्मा राम साहु, रामपुर सोमढ माईन
की पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1083, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर, ग्राम-रामपुर,
तहसील-नरहरपुर, जिला-उ.ब. कांकर (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता
75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दो वर्ष तक की अवधि हेतु वैध है।
2. गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट - परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Situation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनर्भरण (Replenishment) काबू सही आकड़े, रेत उत्खनन का नदी-नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सृहम जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् ही आगामी अवधि के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किया जाएगा।
3. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
4. उत्खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक नहीं होगा। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खनन के पूर्व माईनिंग लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक के नदी-साह के लेवल्स (Levels) भी लिए जायेंगे। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह के स्तर (Levels) का भी सर्वे किया जायेगा। उपरोक्त सभी नदी साह के स्तर (Levels) का सर्वे 25 गुना 25 मीटर के अंतराल (Grid) में किया जाएगा। रेत खनन के उपरोक्त मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून) में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी साह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित शिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं शिड बिन्दुओं पर रेत साह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत साह के पूर्व निर्धारित शिड बिन्दुओं पर रेत साह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।
6. रेत की खुदाई भूमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण सयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाइंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रेली द्वारा किया जाएगा।
7. रेत का उत्खनन केवल निम्नीत, सीमांकित एवं सीमित क्षेत्र में ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह, दोनों में से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति

में जल स्तर को भींचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड बैंक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

8. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 10 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षय न हो। इसलिए उत्खनन नदी की सीमा से न्यूनतम 41 मीटर की दूरी के बांध किया जाएगा। किसी भी पुलिस, स्टापहेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से न्यूनतम 250 मीटर दूरी का सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।
9. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव को स्वस्थ पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
10. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उरी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस-पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव-जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं को प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।
11. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिड़काव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिसीमा वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. रेत का परिवहन तात्कालिक अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढाके हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनित का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
14. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
15. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु कम से कम 300 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करज, सीसू, आम, इमली, शीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 1,500 पौधों का रोपण नदी तट पर तथा 1,000 नग पौधे पहुँच मार्ग में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation

			(in Lakh)
			Following activities at Nearby Government School Village-Rampur
			Rain Water Harvesting System
Rs. 25	2%	Rs. 0.50	Potable Drinking water Facility
			Running water Facility for Toilets
			Plantation work with fencing
			Total
			Rs. 1.20

17. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का कार्यावरण विस्तृत जगत एवं कार्य विवरण एक माह में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही छह माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
18. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केंद्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेल उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय-समय पर केंद्र/राज्य सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।
19. छत्तीसगढ़ ग्रीन खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेल उत्खनन हेतु जारी अधिरूचना दिनांक 2/3/2006 के प्राधान्यों/शर्तों एवं तदनुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।
20. कार्य स्थल पर यदि कोयला भूमिक कार्य पर लागू होते हैं तो ऐसे भूमिकों के आवास उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
21. भूमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विहितस्तरीय सुविधा, मीथाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
22. भूमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।
23. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
24. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य समिति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी समिति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अधिकरण अथवा केंद्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।



25. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोष्य रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्काय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखा है।
26. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 अथवा अधिक समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हों, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।
27. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्रवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, जगदलपुर, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए। क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी।
28. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियंत्रण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकेतमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हस्तांतरण एवं सीमाचार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) को अर्थात् विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
30. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए ताकि एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्तें निर्दिष्ट करने वास्तविक निर्णय ले सके। तद्वतन में कोई भी विस्तार अथवा चन्चलन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

31. उत्तरीसमग्र पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/सहसचिव कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करना।
32. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती है।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.